रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28102025-267185
CG-MH-E-28102025-267185

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 685] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 2025/कार्तिक 2, 1947
No. 685] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/KARTIKA 2, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 22 अक्तूबर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू)

और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2025

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/268 - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 की उप-धारा (1) के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 में,-

(1) विनियम 18 में,

(क)उप-विनियम (1) में,

(i) शब्दों तथा चिह्न "निर्गमकर्ता और डिबेंचर न्यासी बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर न्यास विलेख पर" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "इश्युअर (निर्गमकर्ता) और डिबेंचर न्यासी बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जाने वाले फॉर्मेट में तैयार की गई ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) पर बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली समय-सीमाओं के भीतर" आ जाएँगे;

(ii) चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा;

(ख) उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह कि ट्रस्ट डीड (न्यास विलेख) हेतु निर्धारित किए गए फॉर्मेट में यदि कोई फेरबदल कर दिया जाए, तो ऐसे में डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) उसे तभी स्वीकार कर सकेगा जब सामान्य सूचना दस्तावेज (जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट) या मुख्य सूचना दस्तावेज (की-इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट) या शेल्फ प्रॉस्पेक्टस में इश्युअर (निर्गमकर्ता) इस प्रकार किए गए फेरबदल का एक संक्षिप्त ब्यौरा (की-समरी शीट) दे दे और उसमें यह भी बता दे कि इस प्रकार फेरबदल किए जाने के पीछे क्या तर्क है।";

(ग) उप-विनियम (4) में, शब्द, चिह्न तथा अक्षर "ऐसे न्यास विलेख के दो भाग होंगे: (क) भाग-क, जिसमें ऋण निर्गम (डैट इश्यू) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित जानकारी / मानक जानकारी होगी। (ख) भाग-ख, जिसमें किसी ऋण निर्गम विशेष के ब्यौरे होंगे।" हट जाएँगे।

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./419/2025-26]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/39, द्वारा 9 अगस्त, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 तत्पश्चात्:

(i) 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/77, द्वारा

(ii) 9 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/102, द्वारा

(iii) 2 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/119, द्वारा

(iv) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा

(v) 4 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा

(vi) 6 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/135, द्वारा

(vii) 18 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा

(viii) 10 जुलाई, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/190, द्वारा

(ix) 18 सितम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/205, द्वारा

(x) 11 दिसम्बर, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/217, द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd October, 2025

Securities And Exchange Board Of India (Issue And Listing Of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2025

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/268 - In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2025.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, ─

(1) in regulation 18,

(a) in sub-regulation (1),

(i) after the words “execute the trust deed” and before the words “within such timelines”, the words “in such format and” shall be inserted;

(ii) the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:”;

(b) after sub-regulation (1), the following shall be inserted as a proviso, namely, -

“Provided that in case of any deviation from the format specified for the trust deed, the debenture trustee may accept such deviations if a key summary sheet capturing the deviations along with the rationale for the same is provided by the issuer in the General Information Document/ Key Information Document or Shelf Prospectus.”;

(c) in sub-regulation (4), the words and symbols "Such trust deed shall consist of two parts: (a) Part A containing statutory/standard information pertaining to the debt issue. (b) Part B containing details specific to the particular debt issue." shall be omitted.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./419/2025-26]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on August 9, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/39.

2. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, were subsequently amended on:

(i) April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2022 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/77.

(ii) November 9, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Second) (Amendment) Regulations, 2022 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/102.

(iii) February 2, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/119.

(iv) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.

(v) July 4, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD–NRO/GN/2023/137.

(vi) July 6, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/135.

(vii) August 18, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.

(viii) July 10, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Amendment) Regulations, 2024 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/190.

(ix) September 18, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Second Amendment) Regulations, 2024 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/205.

(x) December 11, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) (Third Amendment) Regulations, 2024 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/217.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.10.28 11:17:27 +05'30'